

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम ज
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

18/8/22

पन्नावली शब्द्रीय लोक अदालत के तहत आज पेश हुई वकील पक्षकाराने उपस्थित ही वकील पक्षकाराने ने बहस में प्राचीन पत्र एवं जवाब जवाफ में बगिचे तप्यों के दोहराया प्राचीन एवं अप्रामाणिक नैनवां द्वितीय की भूमि खसरा संख्या 1537, 1538, 1540, 3-06, 2-16, 0-05

1541 व 1542 कुल कितना 5 कुल 2-17 2-03

रकबा 11 बीघा 07 बिस्वां भूमि के रिकार्ड सह खातेदार ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व मण्डल द्वारा निबिदि प्रकरणों में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों व 1964 RRJ पेज 88 के अनुसार साधारणतया एक सह अभिधारी किसी दूसरे सह अभिधारी के विरुद्ध आदेश प्राप्त नहीं कर सकते हैं अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्राचीन के पक्ष में साबित नहीं होता ही रिकार्ड सह खातेदाराने होने से अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्राचीन के पक्ष में साबित नहीं होता ही प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्णनीय क्षति प्राचीन के पक्ष में नहीं होने से सुविधा सन्तुलन भी प्राचीन के पक्ष में नहीं है।


अतः प्राचीन पत्र, बहस वकील पक्षकाराने, राजस्व रिकार्ड एवं उक्त विवेचन के आधार पर प्राचीन का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RA अंतर्गत किया जाकर खारिज



नम्बर व तारीख
अदालत को इस
हुकम की तारीख
नहीं जारी हुए


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मस इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अदालत को इस हुकम की तारीख नहीं जारी हुए
---------------	-----------------------------------	--


क्रियां जाता है। निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रावली फैसल नुसार
घोस्टर बाद तज्मील मूल वाद के साथ
संलग्न रहे।


उपखण्ड अधिकारी
बैजवा (बून्दी)

13/8/22

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में आज
पेश हुई। पत्रावली में दिनांक 12/8/22
को फैसला किया जा चुका है अतः
पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष
नहीं होने से पत्रावली दाखिल दफ्तर
है।


(सदस्य)
बाबूक बिधर सेवा सचिव


अध्यक्ष
बाबूक बिधर सेवा सचिव